भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:प्रेस विज्ञप्ति

Reference No.:--

Date:14/07/2020

कोविड-19 के इलाज के लिए नगदीरहित सुविधा

-

संदर्भ सं / Ref. No:- दिनांक / Date:14-07-2020

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>Press Release</u>

-

<u>कोविड-19 के इलाज के लिए नगदीरहित सुविधा</u>
<u>Cashless facility for treatment of Covid-19</u>

-

प्राधिकरण इन रिपोर्टों से अवगत है कि कुछ अस्पताल, बीमाकर्ताओं के साथ ऐसी व्यवस्थाओं के बावजूद, कोविड-19 के इलाज के लिए नगदीरहित सुविधा मंजूर नहीं कर रहे हैं। प्राधिकरण की जानकारी में यह भी लाया गया है कि इनमें से कुछ अस्पताल पालिसीधारकों से नगदी जमाओं की भी माँग करते हैं।

आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 31(डी) के प्रावधानों के अनुसार, साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भौगोलिक प्रसार में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य-देखभाल प्रदाताओं के साथ समझौता करें। बीमा कंपनी ने जिन प्रदाताओं (अस्पतालों) के साथ सेवा स्तर का समझौता किया है, उनके नेटवर्क की सूची बीमाकर्ताओं और टीपीए (तृतीय पक्ष प्रशासक) के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। जहाँ भी ऐसी सेवा स्तर के समझौते (एसएलए) नेटवर्क प्रदाताओं (अस्पतालों) के साथ किये गये हैं, ऐसे सभी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे, एसएलए के सहमत प्रावधानों और पालिसी संविदा के नियमों व शर्तों के अनुसार पालिसीधारकों को कोविड-19 के इलाज सहित किसी भी इलाज के लिए कैशलेस (नगदी रहित) सुविधा उपलब्ध कराएँ।

इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पालिसीधारक, ऐसे उन सभी नेटवर्क प्रदाताओं (अस्पतालों) में नगदीरहित सुविधा के हकदार हैं, जिनके साथ बीमा कंपनी/टीपीए ने एसएलए के मानदण्डों के अनुसार समझौता किया है।

ऐसे किसी भी सूचीबद्ध नेटवर्क प्रदाताओं (अस्पतालों)द्वारा नगदीरहित सुविधा से इन्कार की स्थिति में, पीड़ित पालिसीधारक संबंधित बीमा कंपनी को एक शिकायत भेज सकता है। बीमा कंपनियों केशिकायत विनारण अधिकारियों संबंधी ववरण और ईमेल आईडी, बीमाकर्ताओं केवेबसाइट से या निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किये जा सकते हैं:

https://irdai.gov.in/documents/37343/365630/Cell+for+redressal+of+grievances+of+Policyholders%2C+Sep+2020.pdf/793de467-bb69-ef5c-7db5-664558efd6fc?t=1637155687838

बीमा कंपनियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने पैनल केसभी नेटवर्कप्रदाताओं (अस्पतालों) केसाथ सक्रिय रूप से बातचीत कर यह सुनिश्चित करें कि कैशलेस (नगदीरहित) सुविधा सहज रूप से उपलब्ध रहती है।